न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)
पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –21/2018 दायर दिनांक 09.02.2018 GCMS CASE NO-2018/00281

1. ज्ञान सिंह पुत्र सियारासिंह जाति मजहबी साकिन उदयपुर तहसील सूरतगढ़ (फौत–आदेश दिनांक 29.01.2025 द्वारा अंकित)

1/1 दलीप कौर पत्नी सियारासिंह
1/2 मनप्रीत कौर पत्नी ज्ञान सिंह
1/3 माया पुत्री ज्ञान सिंह
1/4 बेअन्त सिंह पुत्र ज्ञान सिंह
} जाति मजहबी साकिन उदयपुर तहसील सूरतगढ़ (आदेश दिनांक 29.01.2025 द्वारा स्थापित)

––प्रार्थीगण

बनाम

1. सुखराम पुत्र गोविन्दराम जाति नायक साकिन उदयपुर तहसील सूरतगढ़
2. राजकुमार पुत्र नन्दराम जाति खटीक साकिन वार्ड न. 5 जैतसर तहसील श्रीविजयनगर
3. मंगलाराम पुत्र पन्नाराम जाति सांसी साकिन चक 6 एमसी तहसील सूरतगढ़
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
5. उप पंजीयक सूरतगढ़

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954
एवं धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970

उपस्थित–
1. श्री राजवीर भादू, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3
3. पैरोकार राज, अप्रार्थी संख्या 4

–::निर्णय::– दिनांक : 27-3-26

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त रा0न0यो0 सूरतगढ़ द्वारा पत्रावली संख्या 1853 में पारित निर्णय दिनांक 18.04.1975 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित चक 4 एम.सी. के पत्थर नम्बर 75/55 का 6.16 बीघा कमाण्ड, पत्थर नम्बर 75/64 में 6.18 बीघा कमाण्ड, पत्थर नम्बर 75/55 में 5.00 बीघा अनकमाण्ड व पत्थर नम्बर 75/64 में 12.12 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 13.14 बीघा कमाण्ड़ व 17.17 बीघा अनकमाण्ड़ के पुख्ता ऑवटन व खातेदारी सनद व रोही उदयपुर सादानी के खसरा नम्बर 27/8 हाल खसरा न 146/27 में 45.00 बीघा रकबा का टी.सी. ऑवटन से पुख्ता ऑवटन तथा इस रकबा के सन 2007–2008 में डी–कॉलोनी होने पर अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम के जारी खातेदारी अधिकार को निरस्त करवाने रकबा राजस्व रिकॉर्ड में आराजीराज दर्ज किया जाने बाबत का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:54:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजवीर भादू हाजिर आये तथा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मनचन्दा तथा अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से पैरोकार हाजिर आये। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण न. 1 के पिता गोविन्दराम पुत्र श्री स्वरूपाराम जाति नायक साकिन

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

उदयपुर के नाम से उदयपुर सादानी के खसरा न 10 में 12.02 बीघा व खसरा न 11/2 में 14.04 बीघा व खसरा न 11/5 में 10 बीघा खातेदारी रकबा होते हुए भी उसने जरिये मिसल संख्या 1233/27.04.1973 से दिनांक 18.04.1975 को चक 4 एम.सी. के पत्थर न 75/56 के किला न 4 ता 6, 15 ता 16, 25 में 5.06 बीघा कमाण्ड व पत्थर नम्बर 76/49 के किला न 4 ता 7, 14 ता 17, 25 में 7.06 बीघा कमाण्ड रकबा पुख्ता ऑक्टन करवा लिया। जबकि अप्रार्थी के पिता के पास इस रकबा के ऑवटन के समय 36.08 बीघा रकबा था। उदयपुर सादानी मे ही अप्रार्थी न 1 नाम से खसरा न 11/2 में 13.11 बीघा रकबा पुर्व 55 का था जिसकी दिनांक 15.11.84 को धारा 15 ए.ए.ए. खातेदारी अधिकार जारी हो गये। इस प्रकार अप्रार्थी के पिता के पास भी ऑवटन की सीमा से ज्यादा रकबा होते हुए उन्होने चक 4 एम.सी. का रकबा ऑक्टन करवा लिया। अप्रार्थी नम्बर 1 को अपने पिता से नोशनल शेयर में 12.10 बीघा बारानी व 3.03 बीघा नहरी रकबा व अन्य चको व रोही में भी रकबा प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त नोशनल शेयर को छुपाकर ए.सी.सी. साहब सूरतगढ के प्रकरण संख्या 1853 में पारित निर्णय दिनांक 18.04.1975 द्वारा चक 4 एम.सी. के पत्थर नम्बर 75/55 में 6.16 बीघा कमाण्ड व पत्थर नम्बर 75/64 में 6.18 बीघा कमाण्ड व प.न. 75/55 में 5.00 बीघा अनकमाण्ड व प.न. 75/64 में 12.12 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 13.14 कमाण्ड व 17.17 बीघा अनकमाण्ड रकबा सही तथ्य छिपाकर ऑवटन करवा लिया। अप्रार्थी संख्या 1 ने सरकार के साथ जालसाजी करके अपने नाम से रोही उदयपुर सादानी ने ही अपने नाम से खसरा न 27/8 हाल खसरा न 146/27 में 45.00 बीघा रकबा टी.सी. आवंटन करवा लिया व रकबा को पुख्ता ऑक्टन भी करवा कर इस रकबा 2007–2008 में डी–कॉलोनी होने पर खातेदारी अधिकार भी अपने नाम से प्राप्त कर लिये। यह टी.सी. आवंटन भी गैर कानुनी रूप से सलाहकार समिति की राय के बिना हुई थी। चूंकि जब टी.सी. आवंटन ही शुरू से शून्य एवं क्षेत्राधिकार विहिन है तो पुख्ता आवंटन भी काबिल निरस्ती के है। अप्रार्थी संख्या 01 ने राजस्व कमिर्यो से साठ गाठ करके यह रकबा अपने व अपने माता–पिता के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व अन्य दस्तावेजात में दर्ज करवाकर गिरदावरीया दिखाई है। यह है कि उक्त रकबा पर प्रार्थी एंव गांव के अन्य भूमि हीन काश्तकारो का कब्जा काश्त है अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में यह रकबा पुख्ता आवंटन एंव खातेदारी दर्ज होने से प्रार्थीगण को यह रकबा आवंटन नहीं हो रहा है। जबकि प्रार्थीगण के पूरे परिवार का जीवन यापन का सहारा ही जैरप्रकरण रकबां है इसलिए भी शिकायत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एंव अप्रार्थीगण का आवंटन खारिज योग्य है। अतः शिकायत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि शिकायत में वर्णित तथ्यो के आधार पर अप्रार्थी नं. 1 के नाम का श्रीमान ए.सी.सी. साहब सूरतगढ से पत्रावली न 1853 निर्णय दिनांक 18.04.1975 से चक 4 एम.सी. के पत्थर न 75/55 का 6.16 बीघा कमाण्ड व प.न. 75/64 में 618 बीघा कमाण्ड व प.न. 75/55 में 5.00 बीघा अनकमाण्ड व प.न. 75/64 में 12.12 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 13.14 कमाण्ड व 17.17 बीघा अनकमाण्ड किया गया पुख्ता ऑवटन व खातेदारी सनद व रोही उदयपुर सादानी के खसरा न 27/8 हाल खतरा न 146/27 में 45.00 बीघा रकबा का टी.सी. ऑवटन पुख्ता ऑवटन तथा इस रकबा के सन 2007–2008 में डी–कालोनी होने पर अप्रार्थी न 1 के नाम के खातेदारी अधिकार निरस्त फरमाया जावें व पुख्ता आवंटन की पालना में जारी किए गए खातेदारी सनद को भी निरस्त कर उक्त रकबा राजस्व रिकॉर्ड में आराजीराज दर्ज किया जाने का आदेश फरमाया जावें। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (13)2006 पेज 749, आरएलडब्ल्यू 2001 (4) राज. पेज 114, आरआरडी अगस्त 2004 पेज 439 की ओर ध्यान दिलाया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि सहायक उपनिवेशन आयुक्त रा.न.यो. सूरतगढ़ द्वारा जरिये मिसल नम्बर 1853 में निर्णय दिनांक 18.04.1975 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 सुखराम को चक 4 एम. सी. मु. नं. 75/55 किला नम्बर 3, 7, 8, 14, 17, 24, 25 में 6.16 बीघा कमाण्ड, पत्थर नं. 75/64 किला नम्बर 1, 9 ता 11, 12, 19, 20, 21, 22 = 6. 18 बीघा कमाण्ड़,पत्थर न. 75/55 किला नं. 5, 6, 15, 16, 4 में 5.00 बीघा अनकमांड व पत्थर न. 75/64 किला नं. 2 ता 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 ता 17, 18, 23 ता 25 में 12.12 बीघा अनकमाण्ड़ कुल 31.06 बीघा आवंटित की गई तथा खातेदारी के समय 7.921 हैक्टयर अनकमाण्ड भूमि [illegible] कार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि अप्रार्थी नं. 2 को विक्रय की गई। मु[illegible] संख्या 03 द्वारा उक्त रकबा जरिये पंजीबद्ध बैयनामा द्वारा खरीद क[illegible] पत्र गोविन्दराम के सभी वारिसान को पक्षकार बनाये बिन[illegible] किया गया [illegible]बकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के अनुसार आरोपित को सुने जाने [illegible] अप्रार्थी सं. 1 के पिता गोविन्दरामके नाम से चक उदयपुर सादानी में [illegible] 11 में 13.1[illegible] बीघा बारानी भूमि थी, जिसकी पूर्व–55 में निःशुल्क खातेदारी दिनांक 15.04.1984 को जारी हुई है। यह काश्तकारी अधिनियम में सीलिंग

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbar
Date: 2026.05.14 16:54:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

सीमा तक धारन योग्य भूमि थी। जहां तक चक 4 एम.सी. में गोविन्दराम का आवंटन दिनांक 18.04.1975 से सम्बन्ध है यह 12.12 बीघा कमाण्ड पूर्ण जांच कर बतौर भूमिहीन आवंटन हुई है। इस 12.12 बीघा कमांड के बाद भी 25.00 बीघा अनकमाण्ड की स्पष्ट धारण क्षमता गोमन्दराम नियमानुसार रखता था। इसमें भी सहदायी भूमि में बतौर सहदायी सदस्य उसका कितना हिस्सा था प्रार्थी शिकायतकर्ता के द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में कतई स्पष्ट नहीं किया गया है। गोविन्दराम के नाम पूर्ण हकूक खातेदारी के साथ आवंटन के चक 4 एम.सी. के समय 36.08 बीघा रकबा का साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही शिकायतकर्ता के द्वारा पेश किया गया है। जैर प्रार्थना पत्र आवंटन दिनांक 18.04.1975 यानि आज से 50 वर्ष पूर्व का है इसमें स्वयं सुखराम अप्रार्थी नं.1 ने अपने बयान में पांच भाई एवं एक पिता कुल छः हिस्सेदार बताये है इसमें बहिन जड़ाव, सुगना, मुर्तश्री को शामिल नहीं किया स्वयं गोविन्द ने अपने आवंटन के प्रार्थना–पत्र में आठ वारिस बताये हैं जो कि रिकार्ड की पत्रावली के अवलोकन से साबित है। इस प्रकार गणना करने पर सुखराम अप्रार्थी सं. 1 के पिता की 25–00 बीघा नहरी/बारानी भूमि बताई है जो उसके पुख्ता आवंटन करीब 12.12 कमाण्ड व 13.11 बीघा अनकमाण्ड से मेल खाती है। इस प्रकार से पिता से अप्रार्थी सं. 1 सुखराम को 12.12 बीघा नहरी व 13.11 बीघा बारानी कुल भूमि में करीब 3.05 बीघा कमाण्ड व बारानी अर्थात 2.07 बीघा नहरी भूमि का हिस्सा उसे प्राप्त होना माना जा सकता है। इस गणना के अनुसार अप्रार्थी सं. 1 को 22.13 बीघा कमाण्ड भूमि पाने का पात्र बनता है। दिनांक 18.04.1975 को अप्रार्थी सं. 1 को आदेश आवंटन अनुसार 13.14 बीघा कमाण्ड व 17.12 बीघा बारानी जो कि कुल 22.10 बीघा कमाण्ड के बराबर भूमि बनती है यह उसकी धारण क्षमता के अनुकूल भूमि बनती है। आवंटित भूमि वास्तव में अनकमाण्ड थी जो कि अनकमाण्ड माने जाने पर करीब 6.19 बीघा कमाण्ड़ भूमि के बराबर धारण क्षमता से 13.18 बीघा अनकमाण्ड भूमि कम का आवंटन हुआ है। आवंटन आदेश दिनांक 18.04.1975 अप्रार्थी सं. 1 के नाम से कानून अनुसार पारित किया गया है। आवंटन एवं खातेदारी अधिकार जारी होने के बाद राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन बने अन–अधिवासित कृषि भूमि आवंटन शर्तें 1970 से सम्बन्धित है। इसमें आवंटन नियमों में गंगानगर क्षेत्र में आवंटन सीमा 75–00 बीघा बारानी/अनकमाण्ड तक आवंटन के बराबर की व खातेदारी सीलिंग सीमा तक देय थी इसलिये दी गई खातेदारी नियमानुसार प्रदान की गई है। अप्रार्थी नं. 1 के धारण में आवंटन की दिनांक को 12–00 बीघा बारानी व 3–04 बीघा नहरी भूमि थी। अप्रार्थी सं. 1 के पिता के धारण की भूमि मानी भी जावे तो यह करीब 12.12 बीघा कमाण्ड में 1/8 हिस्सा नहरी अर्थात 1.11 बीघा नहरी व 13.11 बीघा पूर्व–55 बारानी भूमि में 1.13 बीघा बारानी कुल 3.05 बीघा नहरी व बारानी में करीब 2.07 बीघा नहरी के बराबर बनती है। आवंटन दिनांक 18.04.1975 को वह 22.13 बीघा कमाण्ड भूमि पाने का पात्र बनता था जबकि आवंटन 13.14 बीघा नहरी व करीब 17.12 बीघा बारानी जो 8.16 बीघा कमांड के बराबर बनती है कुल 22.10 बीघा कमाण्ड के बराबर बनती है, जो उसकी धारण क्षमता 22.13 बीघा कमाण्ड से कम है। दिनांक 18.04.1975 को जो 13.14 बीघा भूमि कमाण्ड का आवंटन हुआ वास्तव में वह रकबा अनकमाण्ड था जो स्वयं शिकायतकर्ता द्वारा पेश की गई जमाबन्दी चक 4 एम.सी. सम्वत् 2070 ता 2073 की खाता सं. 58 में इंतकाल सं. 210 द्वारा दुरुस्ती के अंकन के रिकार्ड से स्पष्ट साबित है। इस प्रकार कुल 31.06 बीघा अनकमाण्ड मानने पर दिनांक 18.04.1975 का आवंटन 15.13 बीघा कमाण्ड बनता है। इस आवंटन के बाद अप्रार्थी नं. (1) 13–18 बीघा अनकमाण्ड भूमि रा.न. योजना क्षेत्र में और भूमि पाने का अधिकारी ही बना रहता है जो दस्तावेजी रिकार्ड से साबित है। शिकायतकर्ता द्वारा जानबूझकर रंजिशवश गलत तथ्य अंकित किये गये है। अप्रार्थी सं. 1 को हुआ आवंटन सन् 1975 के पश्चात का है यानि अप्रार्थी सं. 3 के द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज द्वारा खरीदशुदा चक 4 एम.सी. की भूमि का आवंटन अप्रार्थी सं. 1 को होने के बाद का है। इस मद में बताई गई यह भूमि वर्तमान में डी–कॉलोनी क्षेत्र की है व इसमें खातेदारी सलिंग सीमा तक दी जा सकती है इसलिये दस्तावेजी रिकार्ड से दी गई खातेदारी नियमानुसार प्रदान की गई है। सलाहकार समिति से आवंटन हुआ या नहीं खातेदारी होने के पश्चात यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता इसमें यह काश्तकारी अधिनियम से अधिशासित हो रहे है। आवंटन नियम–1970 के नियम–14 (4) के प्रावधान नियमानुसार बाद खातेदारी प्रभावशील नहीं होते है। आवंटन दस्तावेजी रिकार्ड के अनुसार किसी तथ्य को छुपाकर आवंटन नहीं करवाया गया है और खातेदारी अधिकार नि[illegible]द जांच दिये गये है। अप्रार्थी सं. 1 को दिनांक 18.04.1975 को हुआ आवंटन का रकबा [illegible] पंजीकृत हस्तान्तरण पत्रों द्वारा आगे हस्तान्तरित हो चुका है। आवंटन को 50 वर्ष के करीब [illegible] हो चुका है। कब्जा ना होने का तथ्य दस्तावेजी रिकार्ड विपरीत अंकि[illegible] अप्रार्थी सं. 3 चक 4 एम.सी. के खरीदशुदा रकबा पर खरीद की [illegible] मौका पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा हूं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वकील

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:54:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 1996 छीतरमल बनाम् सरकार आरबीजे 2020 पेज 255 अनवान् इन्द्राज बनाम् सरकार, आरबीजे 1997 पेज 164 अनवान् गगना बनाम् भोजा सिविल टाइम्स 2009(3) पेज 1164 आरबीजे 2011 पेज 524 के प्रस्तुत किये।

अप्रार्थी नं. 4 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रथम कथन है कि अप्रार्थी नं. 1 के पिता गोविन्दराम के नाम से चक उदयपुर सादानी के खसरा नं. 10 में 12–02 बीघा खसरा नं. 11/2 में 14–04 बीघा खसरा नं. 11/5 में 10 बीघा कुल 34.02 बीघा बारानी भूमि थी। तत्पश्चात उसने चक 4 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ में 12.12 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन करवा लिया। द्वितीय बिन्दु यह है कि क्या अप्रार्थी नं. 1 ने अपने पिता गोविन्दराम की भूमि के तथ्य को व्यक्त ना करके अपने नाम से चक 4 एम.सी. में पत्थर नं. 75/55 में 6–16 बीघा कमाण्ड, 75/64 में 6 बीघा 18 बिस्वा, 75/55 में 5–00 बीघा अनकमाण्ड, 75/64 में 12 बीघा 12 बिस्वा अनकमाण्ड कुल 13–04 कमाण्ड व 12–12 अनकमाण्ड कुल 26–06 बीघा कमांड/अनकमाण्ड का आवंटन करवाया एवं इस कुल भूमि को छुपाकर उदयपुर सादानी में 45–00 बीघा बारानी भूमि का आवंटन करवाया है। इन दोनों बिन्दुओं पर न्याय निर्णयों व रिकार्ड का अवलोकन व मनन करने पर प्रथमतः शिकायतकर्ता के कथनों को सिद्ध भी माने तब भी गोविन्दराम के धारण में आवंटन 12.12 बीघा कमाण्ड के बाद भी वह 25.00 बीघा बारानी भूमि की धारण क्षमता और रखता था जो 34.02 बारानी भूमि गोविन्दराम के धारण में बताई जा रही है आवंटन दिनांक को उसके खातेदारी अधिकार के अन्तर्गत थी अथवा नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है ना ही मृतक गोविन्दराम अथवा उसके वारिसों को पक्षकार बनाया गया है। इसके पश्चात सुखराम पुत्र गोविन्दराम को किये आवंटन दिनांक 18.04.1975 के संबंध में पाया जाता है कि यह आवंटन 26.06 कमाण्ड/अनकमाण्ड दिनांक 18.04.1975 का है एवं उस दिन आवंटन के समय जो आवंटन चक 4 एम.सी. पत्थर नं. 75/64 में 12.12 बीघा कमाण्ड भूमि के आवंटन को पिता के आवंटन को छुपाकर करवाना बताया जा रहा है आवंटन से सिद्ध नहीं होता क्योंकि दोनों आवंटन एक ही दिनांक को हुए। आवंटन के समय पिता को पूर्व मे आवंटन था यह सिद्ध नहीं। यदि सुखराम को पिता के आवंटन से पूर्व आवंटन हुआ तब उस भूमि का विवरण सुखराम द्वारा देना आवश्यक व सम्भव नहीं था। सुखराम जो कि आवंटन 26–06 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड बताया जा रहा है वह वास्तव में 26.06 बिस्वा पूर्ण भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार अनकमाण्ड है इसलिये यह आवंटन 13.03 बीघा कमाण्ड भूमि के बराबर बनती है शेष भूमि जो 45 बीघा बारानी बताई जा रही है वह वर्तमान में भू–राजस्व अधिनियम से अधिशाषित है जो आराजी आवंटन के समय 75.00 बीघा तक की जा सकती थी। कमाण्ड/अनकमाण्ड की गणना करने पर 45.00 बीघा का अप्रार्थी के धारण में 71.00 बीघा अनकमाण्ड बराबर भूमि बनती है। जहां तक पिता से प्राप्त होने वाली भूमि का सवाल है वह पुख्ता आवंटित पिता को एक ही दिन आवंटन होने से गणना योग्य नहीं शेष पिता/पुत्र/पत्नी व वर्तमान में पुत्रियों का हक मानने पर 9 हिस्सों में विभाजित किया जावे तो आवंटन की दिनांक को सीमा से अधिक नही पाया जाता। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा आरजी आवंटन बिना सलाहकार समिति से अवैध बताया जा रहा है जबकि वर्षों बाद इस बिन्दु को उठाना उचित नहीं जाहिर नहीं होता है। इस सम्बन्ध में न्याय निर्णय प्रकाशित आरबीजे 1997 पेज 164 अनुसार निर्णय के पैरा 732 में अंकन कि "आवंटन कलैक्टर द्वारा इस आधार पर आवंटन निरस्त किया कि आवंटिती भूमिहीन नहीं व सलाहकार समिति का कोरम पूरा नहीं" के आधार पर आवंटन वर्षों बाद निरस्त करना उचित नहीं। राजस्व मण्डल व राजस्थान उच्च न्यायालय का यह निर्णय प्रभावशील होता है। आवंटन दशकों वर्षों पुराना है। आवंटन के समय आवंटियों के धारण में बतौर खातेदारी 25.00 बीघा कमाण्ड से अधिक भूमि हो तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–11 व 14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम व नियम–14(4) आवंटन नियम–1970 खारिज किया जाता है तथा आदेशिका दिनांक 09.02.2018 को ... यथास्थिति बनाये रखने बाबत जारी स्थगन आदेश भी निरस्त किया जाता है। निर्णय ... त अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली न... हो।

निर्णय खुले न्याया... सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:54:59 IST
Reason: SelfAttested

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner